अध्याय 1

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली

प्रस्तावना

1.1 राज्य सरकार की कंपनियों एवं सांविधिक निगमों से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) बनते हैं। 31 मार्च 2015 को हरियाणा में 30 सा.क्षे.उ. थे। इनमें से एक निगम[1] बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बी.एस.ई.) में सूचीबद्ध था। वर्ष 2014-15 के दौरान दो सरकारी कंपनियां[2] आरंभ की गई थी जबकि कोई सा.क्षे.उ. बंद नहीं किया गया। 31 मार्च 2015 को हरियाणा में राज्य सा.क्षे.उ. के विवरण नीचे दिए गए हैं।

तालिका 1.1: 31 मार्च 2015 को सा.क्षे.उ. की कुल संख्या

सा.क्षे.उ. की श्रेणी	कार्यरत सा.क्षे.उ.	अकार्यरत सा.क्षे.उ.[3]	कुल
सरकारी कंपनियां[4]	23	5	28
सांविधिक निगम	2	शून्य	2
कुल	**25**	5	**30**

सितंबर 2015 को कार्यरत सा.क्षे.उ. ने अपने अंततम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 36,608.23 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर 2014-15 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 8.41 प्रतिशत के बराबर था। सितंबर 2015 को कार्यरत सा.क्षे.उ. ने अपने अंततम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 2,632.04 करोड़ की कुल हानि उठाई। मार्च 2015 की समाप्ति पर उनके पास 31,248 कर्मचारी थे।

31 मार्च 2015 को पांच[5] अकार्यरत सा.क्षे.उ. थे। इनमें से चार सा.क्षे.उ. गत पांच से 16 वर्षों से विद्यमान हैं तथा ₹ 236.81 करोड़ के निवेश वाले हैं। यह स्थिति सोचनीय है क्योंकि अकार्यरत सा.क्षे.उ. में निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान नहीं करता।

उत्तरदायित्व की रूपरेखा

1.2 सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 तथा 143 के संबंधित प्रावधानों द्वारा शासित है। अधिनियम की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कंपनी का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसमें कम से कम 51 *प्रतिशत* प्रदत्त पूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा, अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा

---

1 हरियाणा वित्तीय निगम।

2 एच.ए.आर.यू.पी. कोल कारपोरेशन लिमिटेड तथा हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कारपोरेशन लिमिटेड।

3 अकार्यरत सा.क्षे.उ. वे हैं जिन्होंने अपने परिचालन बंद कर दिए हैं।

4 सरकारी सा.क्षे.उ. में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) तथा 139(7) में संदर्भित अन्य कंपनियां शामिल हैं।

5 एक कंपनी अर्थात् हरियाणा कोल कंपनी लिमिटेड ने मार्च 2015 में अपने परिचालन बंद कर दिए हैं।

आंशिक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से रखी जाती है तथा इसमें वो कंपनी भी शामिल होती है जो ऐसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। पुन:, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार नि.म.ले.प., धारा 139 की उप-धारा (5) अथवा उप-धारा (7) के अंतर्गत आवृत्त किसी कंपनी के मामले में, यदि आवश्यक समझते हैं, तो ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना-लेखापरीक्षा करने के लिए आदेश दे सकते हैं तथा ऐसी नमूना-लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तथा केंद्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से और एक अथवा अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से स्वामित्वप्राप्त या नियंत्रित सरकारी कंपनी अथवा कोई अन्य कंपनी नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं। 31 मार्च 2014 को या उससे पहले आरंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में कंपनी की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 139(5) अथवा (7) के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो नि.म.ले.प. को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे जिसमें अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत कंपनी की वित्तीय विवरणियां शामिल होंगी। ये वित्तीय विवरणियां अधिनियम की धारा 143(6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नि.म.ले.प. द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.) तथा हरियाणा वित्तीय निगम (एच.एफ.सी.) से संबंधित लेखापरीक्षा चार्टर्ड लेखाकारों तथा पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है।

सरकार तथा विधान-मंडल की भूमिका

1.4 राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सा.क्षे.उ. के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी तथा निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधान-मंडल, सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश का लेखांकन तथा उपयोग भी मॉनीटर करता है। इसके लिए, अधिनियम की धारा 394 के अंतर्गत अथवा संबंधित अधिनियमों में निर्धारित किए गए अनुसार राज्य सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन तथा सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, नि.म.ले.प. के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

हरियाणा सरकार की साझेदारी

1.5 इन सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार की भारी वित्तीय साझेदारी है। यह साझेदारी मुख्यत: तीन प्रकार की है:

- **शेयर पूंजी तथा ऋण**- शेयर पूंजी अंशदान के अतिरिक्त राज्य सरकार समय-समय पर सा.क्षे.उ. को ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

- **विशेष वित्तीय सहायता**- जब कभी अपेक्षित होता है तो राज्य सरकार इन सा.क्षे.उ. को अनुदानों एवं परिदानों के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करती है।

- **गारंटियां**- राज्य सरकार, वित्तीय संस्थाओं से सा.क्षे.उ. द्वारा प्राप्त किए गए ऋणों के ब्याज सहित पुनर्भुगतान हेतु गारंटियां भी देती है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

1.6 नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 30 सा.क्षे.उ. में 31 मार्च 2015 को निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 40,984.19 करोड़ था।

तालिका 1.2: सा.क्षे.उ. में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

सा.क्षे.उ. की श्रेणी	सरकारी कंपनियां			सांविधिक निगम			कुल योग
	पूंजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूंजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	
कार्यरत सा.क्षे.उ.	8,487.70	32,020.41	40,508.11	213.50	25.76	239.26	40,747.37
अकार्यरत सा.क्षे.उ.	17.99	218.83	236.82	-	-	-	236.82
कुल	**8,505.69**	**32,239.24**	**40,744.93**	**213.50**	**25.76**	**239.26**	**40,984.19**

स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्र की गई सूचना।

31 मार्च 2015 को राज्य सा.क्षे.उ. में कुल निवेश का 99.42 *प्रतिशत* कार्यरत सा.क्षे.उ. में तथा शेष 0.58 *प्रतिशत* अकार्यरत सा.क्षे.उ. में था। यह कुल निवेश, 21.27 *प्रतिशत* पूंजी एवं 78.73 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋणों से बना था। निवेश 2010-11 में ₹ 27,710.70 करोड़ से 47.90 *प्रतिशत* बढ़कर 2014-15 में ₹ 40,984.19 करोड़ हो गया था

जैसाकि नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1: सा.क्षे.उ. में कुल निवेश

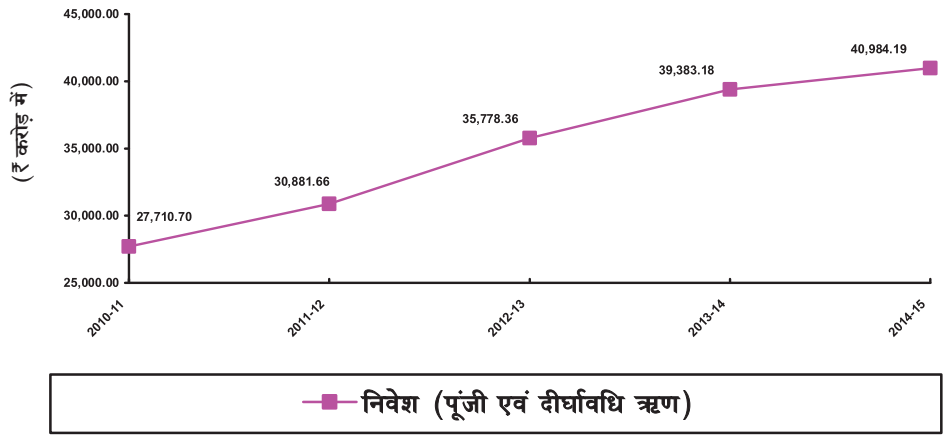

1.7 चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा 31 मार्च 2011 एवं 31 मार्च 2015 की समाप्ति पर उनकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में इंगित की गई है।

चार्ट 1.2: सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश

(कोष्ठकों में आंकड़े, कुल निवेश में क्षेत्रीय निवेश की प्रतिशतता दर्शाते हैं)

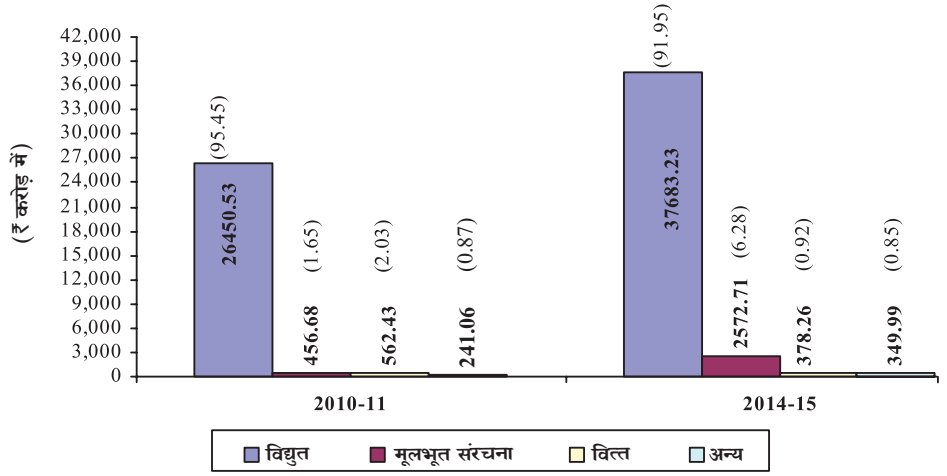

यद्यपि विद्युत क्षेत्र में निवेश 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 26,450.53 करोड़ से ₹ 37,683.23 करोड़ तक बढ़ गया था किंतु संपूर्ण निवेश में इसका भाग, प्रतिशतता में 95.45 प्रतिशत से 91.95 प्रतिशत तक अल्प मात्रा में घटा। मूलभूत संरचना तथा अन्य क्षेत्रों में भी निवेश 2010-11 से 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 456.68 करोड़ से ₹ 2,572.71 करोड़ तथा ₹ 241.06 करोड़ से ₹ 349.99 करोड़ तक बढ़ गया किंतु इसी अवधि के दौरान वित्त क्षेत्र में निवेश ₹ 562.43 करोड़ से ₹ 378.26 करोड़ तक घट गया।

वर्ष के दौरान विशेष सहायता तथा रिटर्न

1.8 राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में सा.क्षे.उ. को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सा.क्षे.उ. के संबंध में इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/परिदानों, ऋणों के बट्टे

खाते में डालने एवं ब्याज माफी के लिए बजटीय बहिर्गमन का 2014 – 15 को समाप्त तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 1.3: सा.क्षे.उ. को बजटीय सहायता से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2012 – 13		2013 – 14		2014 – 15	
		सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
1	बजट से इक्विटी पूंजी बहिर्गमन	7	199.65	6	102.92	7	68.22
2	बजट से दिए गए ऋण	शून्य	शून्य	1	6.48	2	153.25
3	बजट से अनुदान/परिदान	10	10,319.97	11	10,639.10	9	5,357.76
4	**कुल बहिर्गमन (1+2+3)**	**13**	**10,519.62**	**13**	**10,748.50**	**13**	**5,579.23**
5	ऋणों एवं ब्याज की माफी	–	–	–	–	1	81.24
6	जारी गारंटिया	5	15,908.95	5	10,425.04	6	3,966.62
7	गारंटी वचनबद्धता	9	17,111.18	9	25,074.45	8	28,746.85

स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्र की गई सूचना।

राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों के लिए बजटीय बहिर्गमन 2010 – 11 के दौरान ₹ 6,847.58 करोड़ से 18.52 प्रतिशत घटकर 2014 – 15 के दौरान ₹ 5,579.23 करोड़ हो गया।

सा.क्षे.उ. को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अध्यधीन गारंटी देती है जिसके लिए गारंटी फीस प्रभारित की जा रही है। ऋणदाताओं के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यह फीस 0.125 प्रतिशत से दो प्रतिशत तक हो सकती है। गारंटी वचनबद्धता 2012 – 13 में ₹ 17,111.18 करोड़ से बढ़कर 2014 – 15 के दौरान ₹ 28,746.85 करोड़ हो गई। पुनः, चार सा.क्षे.उ. ने 2014 – 15 के दौरान ₹ 4.59 करोड़ की राशि की गारंटी फीस का भुगतान किया। तीन सा.क्षे.उ. ने वर्ष के दौरान गारंटी फीस का भुगतान नहीं किया तथा 31 मार्च 2015 को उनके विरूद्ध ₹ 8.55 करोड़ की संचित[6]/बकाया गारंटी फीस थी।

वित्त लेखाओं का मिलान

1.9 राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के आंकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दर्शित आंकड़ों के समान होने चाहिए। आंकड़ों के समान न होने पर संबंधित सा.क्षे.उ. एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2015 को इस

[6] हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (₹ 5.23 करोड़), हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 3.23 करोड़) तथा हरियाणा पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम (₹ 0.09 करोड़)।

विषय में स्थिति नीचे बताई गई है।

तालिका 1.4: वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी, ऋणों, बकाया गारंटियों की राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों से तुलना

(₹ करोड़ में)

से संबंधित बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
इक्विटी	7,094.77	7,532.31	437.54
ऋण	1,222.55	1,438.28	215.73
गारंटियां	28,752.45	28,746.85	5.60

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ये अन्तर, 14 सा.क्षे.उ. के संबंध में थे तथा कुछ अंतर 2004-05 से मिलान हेतु लंबित थे। इक्विटी तथा ऋणों के आंकड़ों में अंतर सरकार द्वारा अथवा कंपनियों द्वारा उनके लेखाओं में आंकड़ों के गलत वर्गीकरण के कारण थे। बकाया गारंटियों के आंकड़ों में यह अंतर वित्त लेखाओं को तैयार करने के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को सरकारी खजानों द्वारा तथा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय को सा.क्षे.उ. द्वारा भेजे गए अलग-अलग आंकड़ों के कारण थे। राज्य सरकार तथा संबंधित सा.क्षे.उ. को अंतरों का जल्दी मिलान करने बारे पत्र/अनुस्मारक जारी किए गए हैं। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने भी मुख्य सचिव के साथ यह मामला उठाया (अक्तूबर 2015) परंतु इसमें बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है। सरकार तथा सा.क्षे.उ. को समयबद्ध ढंग से अंतरों के मिलान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

1.10 अधिनियम की धारा 96 (1) के प्रावधानों के अनुसार कंपनियों की प्रत्येक वर्ष की वित्तीय विवरणियां संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के अन्दर अर्थात् सितंबर के अंत तक अंतिमकृत की जानी अपेक्षित हैं। ऐसा करने में विफलता अधिनियम की धारा-99 के अंतर्गत दंड प्रावधान आकृष्ट करती है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में, उनके लेखे उनके संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिमकृत, लेखापरीक्षित एवं विधानसभा को प्रस्तुत किए जाते हैं।

निम्न तालिका 30 सितंबर 2015 को लेखाओं की स्थिति प्रदान करती है।

तालिका 1.5: कार्यरत सा.क्षे.उ. के लेखाओं के अन्तिमकरण से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या	22	22	24	24	25[7]
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमकृत लेखाओं की संख्या	23	22	18	23	22
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	29	29	34	35	36
4.	कार्यरत सा.क्षे.उ., जिनके लेखे बकाया हैं, की संख्या	17	17	19	19	19
5.	बकाया-अवधि (संख्या वर्षों में)	1 से 5	1 से 4	1 से 4	1 से 4	1 से 5

[7] दो सा.क्षे.उ., एच.ए.आर.यू.पी. कोल कारपोरेशन लिमिटेड तथा हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कारपोरेशन लिमिटेड, की पहली वार्षिक आम बैठक 31 दिसंबर 2015 को देय है तथा इसके लेखे बकायों में शामिल नहीं किए गए हैं।

यह देखा जा सकता है कि बकाया लेखाओं की संख्या 29 (2010-11) से 36 (2014-15) तक बढ़ गई है जिनमें दो सा.क्षे.उ. के बकाया लेखे 2010-11 से संबंधित, चार सा.क्षे.उ. के 2011-12 से संबंधित, पांच सा.क्षे.उ. के 2012-13 से संबंधित, छः सा.क्षे.उ. के 2013-14 से संबंधित तथा 19 सा.क्षे.उ. के 2014-15 से संबंधित हैं। लेखाओं के अंतिमकरण में विलंब हेतु कंपनियों द्वारा बताए गए मुख्य कारण प्रशिक्षित स्टाफ की कमी तथा प्रबंधन का निरंतर स्थानान्तरण है। प्रशासनिक विभागों के पास इन उपक्रमों की गतिविधियां देखने एवं यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन सा.क्षे.उ. द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जाए एवं अपनाया जाए। प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले.) द्वारा लेखाओं के बकाया की स्थिति अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के संज्ञान में लाई गई (अप्रैल 2015)। लेखाओं के बकाया के कारण 31 मार्च 2015 को इन सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य का लेखापरीक्षा में निर्धारण नहीं किया जा सका। लेखाओं के पुराने बकाया को समयबद्ध ढंग से शीघ्र निपटाने का मामला प्र.म.ले. ने प्रधान सचिव, वित्त विभाग के साथ भी उठाया (जुलाई तथा अक्तूबर 2015) किंतु स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

1.11 उन वर्षों के दौरान जिनके लेखाओं का अन्तिमकरण नहीं हुआ है, राज्य सरकार ने 11 सा.क्षे.उ. में ₹ 5,509.04 करोड़ {इक्विटी: ₹ 31.02 करोड़ (सात सा.क्षे.उ.), ऋण: ₹ 37.48 करोड़ (एक सा.क्षे.उ.), अनुदान: ₹ 159.99 करोड़ (पांच सा.क्षे.उ.) तथा सबसिडी: ₹ 5,280.55 करोड़ (पांच सा.क्षे.उ.)} का निवेश किया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 1*** में वर्णित है। लेखाओं के अंतिमकरण तथा उनके अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किए गए निवेश तथा व्यय उचित रूप से लेखाओं में लिए गए हैं या नहीं तथा वह उद्देश्य प्राप्त किया गया है या नहीं जिसके लिए राशि निवेश की गई थी और इस प्रकार, ऐसे सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधान सभा नियंत्रण से बाहर रहा।

1.12 उपर्युक्त के अतिरिक्त 30 सितंबर 2015 को अकार्यरत सा.क्षे.उ. द्वारा भी लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया थे। पांच अकार्यरत सा.क्षे.उ. में से दो बंद होने की प्रक्रिया में थे तथा शेष तीन अकार्यरत सा.क्षे.उ.[8] के लेखे एक से दो वर्षों से बकाया थे।

तालिका 1.6: अकार्यरत सा.क्षे.उ. के संबंध में वर्षवार लेखाओं के बकाया से संबंधित स्थिति

अकार्यरत कंपनियों की संख्या	अवधि, जिसके लेखे बकाया में थे	वर्षों की संख्या, जबसे लेखे बकाया में थे
1	2013-14	1
3	2014-15	3

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

1.13 नीचे चित्रित स्थिति सांविधिक निगमों के लेखाओं पर नि.म.ले.प. द्वारा जारी किए गए (30 सितंबर 2015 तक) पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.प्र.) के विधानसभा में

[8] हरियाणा मिनरल्ज लिमिटेड, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड तथा हरियाणा कोल कंपनी लिमिटेड।

प्रस्तुतिकरण की स्थिति दर्शाती है।

1.7: विधानसभा में पृ.ले.प.प्र. के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष, जब तक विधानसभा में पृ.ले.प.प्र. प्रस्तुत किए गए	वर्ष, जिसके पृ.ले.प.प्र. विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किए गए	
			पृ.ले.प.प्र. का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि/वर्तमान स्थिति
1	हरियाणा वित्तीय निगम	2013 – 14	–	–
2	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	2012 – 13	2013 – 14	प्रक्रियाधीन

लेखाओं के अंतिमकरण न करने के प्रभाव

1.14 जैसा कि ऊपर (अनुच्छेद 1.10 से 1.12) इंगित किया गया है, लेखाओं के अंतिमकरण में विलंब से संबंधित विधियों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी तथा सार्वजनिक धन के रिसाव का जोखिम भी हो सकता है। लेखाओं के बकायों की उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत वर्ष 2014 – 15 के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) में सा.क्षे.उ. के वास्तविक योगदान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा राजकोष में उनके योगदान की सूचना भी राज्य विधानमंडल को नहीं दी जा सकी।

सा.क्षे.उ. के अंततम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार उनका निष्पादन

1.15 सा.क्षे.उ. टर्नओवर और राज्य स.घ.उ. का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सा.क्षे.उ. गतिविधियों की स्थिति दर्शाता है। नीचे तालिका 2014 – 15 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि हेतु कार्यरत सा.क्षे.उ. टर्नओवर तथा राज्य स.घ.उ. के विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.8: राज्य स.घ.उ. की तुलना में कार्यरत सा.क्षे.उ. टर्नओवर के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
टर्नओवर[9]	18,756.18	21,465.56	22,384.88	25,262.69	36,608.23
राज्य स.घ.उ.	2,60,621.28	2,98,688.33	3,41,351.16	3,88,916.63[10]	4,35,310.05[11]
राज्य स.घ.उ. से टर्नओवर की प्रतिशतता	7.20	7.19	6.56	6.50	8.41

स्रोत: सा.क्षे.उ. तथा राज्य स.घ.उ. से एकत्र की गई सूचना।

9 अनुवर्ती वर्ष की 30 सितंबर तथा 2014 – 15 के लिए 30 सितंबर 2015 को अंततम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार टर्नओवर।

10 शीघ्र अनुमान।

11 अग्रिम अनुमान।

सा.क्षे.उ. का टर्नओवर मुख्यतया विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के टर्नओवर में वृद्धि के कारण 2010-11 में ₹ 18,756.18 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 36,608.23 करोड़ हो गया। राज्य स.घ.उ. की तुलना में सा.क्षे.उ. गतिविधियों की भूमिका भी बढ़ गई क्योंकि इसकी प्रतिशतता 2010-11 में 7.20 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 8.41 प्रतिशत हो गई।

1.16 2010-11 से 2014-15 के दौरान राज्य कार्यरत सा.क्षे.उ. द्वारा उठाई गई समग्र हानियां नीचे ग्राफ में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.3: कार्यरत सा.क्षे.उ. की हानियां

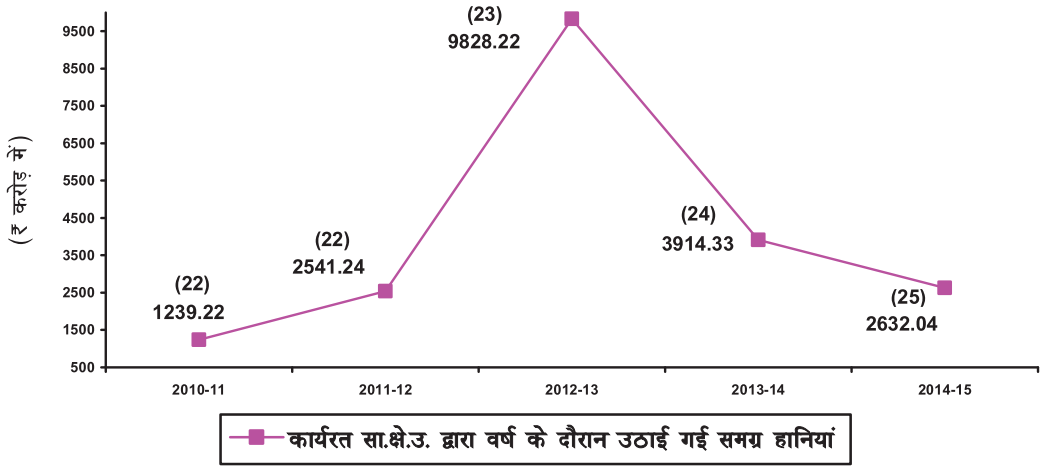

(कोष्ठकों में आंकड़े, संबंधित वर्षों में कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या दर्शाते हैं)

सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के उस नवीनतम वर्ष, जिसके लेखे अंतिमकृत किए गए थे, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम *परिशिष्ट 2* में दिए गए हैं। 2010-11 में सा.क्षे.उ. की समग्र हानियां ₹ 1,239.22 करोड़ थी। 2012-13 में हानियां ₹ 9,828.22 करोड़ तक बढ़ गई जो कि मुख्यत: उ.ह.बि.वि.नि.लि. की वर्ष 2011-12 में ₹ 2,011.24 करोड़ की हानि से वर्ष 2012-13 में ₹ 8,603.60 करोड़ तक हानि में वृद्धि के कारण थी। 25 कार्यरत सा.क्षे.उ. की, उनके नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार, समग्र हानियां ₹ 2,632.04 करोड़ रहीं। 25 कार्यरत सा.क्षे.उ. में से 16 सा.क्षे.उ. ने ₹ 981.67 करोड़ का लाभ सूचित किया तथा सात सा.क्षे.उ. ने ₹ 3,613.71 करोड़ की हानि सूचित की। दो सा.क्षे.उ. (एच.ए.आर.यू.पी. कोल कंपनी तथा हरियाणा मैडीकल सर्विसिज कारपोरेशन लिमिटेड) द्वारा अभी वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने हैं तथा उन्होंने अपने प्रथम लेखे तैयार नहीं किए थे। लाभ के प्रमुख अंशदाता हरियाणा राज्य औद्योगिक मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 748.59 करोड़), हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 108.21 करोड़) तथा हरियाणा वित्तीय निगम (₹ 51.83 करोड़) थे। प्रमुख हानियां दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,088.65 करोड़) तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,465.01 करोड़) द्वारा उठाई गई थी।

1.17 सा.क्षे.उ. के कुछ अन्य मुख्य पैरामीटर नीचे दिए गए हैं:

तालिका 1.9: राज्य सा.क्षे.उ. के मुख्य पैरामीटर

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010 – 11	2011 – 12	2012 – 13	2013 – 14	2014 – 15
पूंजी लागत पर रिटर्न (*प्रतिशत*)	1.57	-	-	2.01	6.96
उधार	19,936.66	21,838.13	27,231.91	30,739.75	37,847.90
टर्नओवर[12]	18,756.18	21,465.61	22,384.88	25,262.69	36,608.23
उधार/टर्नओवर अनुपात	1.06:1	1.02:1	1.22:1	1.22:1	1.03:1
ब्याज भुगतान	1,667.56	2,445.50	3,526.20	4,361.24	4,411.32
संचित लाभ/हानियां	(-) 5,676.03	(-) 8,622.09	(-) 21,210.01	(-) 23,813.48	(-) 24,043.86

स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्र की गई सूचना।

(टर्नओवर, जो कि कार्यरत सा.क्षे.उ. के लिए है, को छोड़कर उपर्युक्त आंकड़े सभी सा.क्षे.उ. से संबंधित हैं)।

राज्य के कार्यरत सा.क्षे.उ. का टर्नओवर 2010 – 11 के दौरान ₹ 18,756.18 करोड़ से 95.18 प्रतिशत तक बढ़कर 2014 – 15 में ₹ 36,608.23 करोड़ हो गया। उसी अवधि के दौरान कर्जे भी ₹ 19,936.66 करोड़ से 89.84 प्रतिशत तक बढ़कर ₹ 37,847.90 करोड़ हो गए।

1.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति का प्रतिपादन किया (अक्तूबर 2003) जिसके अधीन सभी सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई दत्त शेयर – पूंजी पर कम से कम चार *प्रतिशत* वापसी अदा करनी है। 16 सा.क्षे.उ. ने अपने अन्ततम अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 981.67 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया किंतु केवल तीन सा.क्षे.उ. ने ही ₹ 6.25 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

अकार्यरत सा.क्षे.उ. को बन्द करना

1.19 विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अकार्यरत कंपनियों की संख्या नीचे दी गई है।

तालिका 1.10: अकार्यरत सा.क्षे.उ.

विवरण	2010 – 11	2011 – 12	2012 – 13	2013 – 14	2014 – 15
अकार्यरत कंपनियों की संख्या	7	7	7	4	5

31 मार्च 2015 को पांच अकार्यरत सा.क्षे.उ. (कंपनियां) थे। इनमें से दो सा.क्षे.उ.[13] ने परिसमापन प्रक्रिया शुरू कर दी है। शेष तीन कंपनियां समापनाधीन थीं अर्थात् बंद करने के आदेश/अनुदेश जारी किए गए किंतु समापन प्रक्रिया अभी आरंभ नहीं की गई। 2014 – 15 के दौरान, अकार्यरत सा.क्षे.उ. ने स्थापना पर ₹ 1.44 करोड़ का व्यय किया। यह व्यय, परिसम्पत्तियों/निवेश की बिक्री,

[12] 30 सितंबर 2015 को अंततम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार कार्यरत सा.क्षे.उ. का टर्नओवर।

[13] हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

एफ.डी.आर. पर ब्याज, विभिन्न प्राप्तियों तथा स्रोत पर काटे गए कर के रिफंड के माध्यम से वहन किया गया था।

1.20 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्वत: बंद करने की प्रक्रिया बहुत तीव्र है तथा इसे अपनाए जाने/अनुसरण किए जाने की आवश्यकता है। सरकार तीन[14] अकार्यरत सा.क्षे.उ. को बंद करने के बारे में निर्णय ले सकती है जहां उनके अकार्यरत होने के बाद उनकी निरंतरता के बारे में अथवा कोई अन्य निर्णय नहीं लिया गया है।

लेखा टिप्पणियां

1.21 वर्ष 2014-15 के दौरान अठारह कार्यरत कंपनियों ने अपने 20 लेखापरीक्षित लेखे प्र.म.ले. को अग्रेषित किए। इनमें से नौ कंपनियों के नौ लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए थे। नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं नि.म.ले.प. की पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को काफी सुधारने की जरूरत है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य के विवरण नीचे दिए गए हैं।

तालिका 1.11: कार्यरत कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	5	11.48	10	29.51	5	2.83
2	हानि का बढ़ना	4	6,018.96	2	1,081.47	6	1,074.35
3	आर्थिक तथ्यों का खुलासा न करना	4	234.35	6	254.86	4	3,805.09
4	वर्गीकरण की त्रुटियां	4	68.15	3	667.14	5	5,979.35

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 15 लेखाओं को परिमित प्रमाण-पत्र तथा एक लेखे को प्रतिकूल प्रमाण-पत्र प्रदान किए। उपर्युक्त के अतिरिक्त, नि.म.ले.प. ने पूरक लेखापरीक्षा के दौरान के एक लेखे (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के वर्ष 2013-14 के लेखे पर) पर प्रतिकूल टिप्पणियां दी। कंपनियों की लेखा मानकों (ले.मा.) की अनुपालना हल्की रही क्योंकि वर्ष के दौरान नौ लेखाओं में अनुपालना न करने के 29 उदाहरण मिले।

1.22 इसी प्रकार, दो कार्यरत सांविधिक निगमों-एच.एफ.सी. ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए अपने दो लेखे तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने वर्ष 2013-14 का अपना एक लेखा वर्ष 2014-15 के दौरान प्र.म.ले. को पूरक लेखापरीक्षा के लिए अग्रेषित किए। दो लेखाओं (एच.एफ.सी. तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. के 2013-14) की टिप्पणियां अंतिमकृत की गई तथा 2014-15 के लिए हरियाणा वित्तीय निगम के एक लेखे पर टिप्पणियां अंतिमकरणाधीन हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं नि.म.ले.प. की पूर्ण/पूरक लेखापरीक्षा ने

[14] हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड, हरियाणा कोल कंपनी लिमिटेड तथा हरियाणा मिनरल्ज लिमिटेड।

इंगित किया कि लेखाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को काफी सुधारने की जरूरत है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य के विवरण नीचे दिए गए हैं।

तालिका 1.12: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	1	3.98	1	3.78	1	2.28
2	हानि का बढ़ना	-	-	1	4.55	-	-
3	आर्थिक तथ्यों का खुलासा न करना	1	29.76	1	40.81	-	-
4	वर्गीकरण की त्रुटियां	-	-	-	-	2	4.39

स्रोत: सा.क्षे.उ. के वार्षिक लेखाओं से संकलित सूचना।

वर्ष के दौरान, दो सांविधिक निगमों के तीन लेखे प्राप्त किए गए थे तथा सभी लेखाओं को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा परिमित प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए थे।

लेखापरीक्षा को सरकार के उत्तर

निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा अनुच्छेद

1.23 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 18 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद, छ: सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को जारी किए गए थे। तथापि, तीन अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के संबंध में राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2016)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लंबित उत्तर

1.24 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा को निरूपित करता है। अत: यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से समुचित तथा सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए हैं (जुलाई 1996) कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानसभा में प्रस्तुति के तीन महीनों की अवधि के अंदर उसमें शामिल अनुच्छेदों/समीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

तालिका 1.13: प्राप्त नहीं हुई व्याख्यात्मक टिप्पणियां (31 जनवरी 2016 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/सा.क्षे.उ.)	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (नि.लेप.) तथा अनुच्छेद		नि.लेप./अनुच्छेदों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी	
		नि.लेप.	अनुच्छेद	नि.लेप.	अनुच्छेद
2012 – 13	25.03.2015	2	10	2	6
2013 – 14	04.09.2015	2	9	2	9
कुल		**4**	**19**	**4**	**15**

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 23 अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से तीन विभागों[15], जिन पर टिप्पणियां की गई थी, के संबंध में 19 अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रतीक्षित थीं (जनवरी 2016)।

कोपु द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

1.25 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.क्षे.उ.) में प्रकट उन निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों, जिन पर लोक उपक्रम समिति (कोपु) द्वारा चर्चा की गई, की 31 जनवरी 2016 को स्थिति निम्नानुसार थी।

तालिका 1.14: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट समीक्षाओं/अनुच्छेदों की तुलना में 31 जनवरी 2016 तक चर्चा किए गए

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	समीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट		चर्चा किए गए अनुच्छेद	
	नि.लेप.	अनुच्छेद	नि.लेप.	अनुच्छेद
2012 – 13	2	10	–	1
2013 – 14	2	9	–	–
कुल	**4**	**19**	**–**	**1**

लोक उपक्रम समिति (कोपु) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.26 फरवरी 2009 तथा मार्च 2015 के मध्य राज्य विधानसभा को प्रस्तुत कोपु के छः प्रतिवेदनों से संबंधित 25 अनुच्छेदों पर 'एक्शन टेकन नोट्स' (ए.टी.एन.) प्राप्त नहीं हुए थे

[15] विद्युत, कृषि तथा उद्योग विभाग।

(जनवरी 2016) जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

तालिका 1.15: कोपु प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपु रिपोर्ट का वर्ष	कोपु रिपोर्टों की कुल संख्या	कोपु रिपोर्ट में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जिनकी ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुई
2008-09	1	14	1 (पैरा सं. 14)
2010-11	1	10	1 (पैरा सं. 8)
2011-12	1	8	2 (पैरा सं. 3 और 5)
2012-13	1	16	3 (पैरा सं. 4, 5 और 7)
2013-14	1	10	6 (पैरा सं. 2 से 6 और 10)
2014-15	1	12	12 (पैरा सं. 1 से 12)
योग	**6**	**70**	

कोपु के इन प्रतिवेदनों में नौ विभागों[16] से संबंधित अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें सम्मिलित हैं, जो 2003-2004 से 2010-11 के वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में प्रकट हुई थी।

सिफारिश की जाती है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि: (क) निर्धारित समय सीमा के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट/ड्राफ्ट पैराग्राफ/निष्पादन लेखापरीक्षा और कोपु की सिफारिशों पर ए.टी.एन. का जवाब भेजा जाएगा; (ख) निर्धारित अवधि के भीतर हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूली की जाएगी; तथा (ग) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया की प्रणाली तैयार होगी।

सा.क्षे.उ. का विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण

1.27 राज्य सरकार ने 2014-15 के दौरान अपने किसी भी सा.क्षे.उ. के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन का कार्य नहीं किया।

इस प्रतिवेदन का कवरेज

1.28 इस प्रतिवेदन में ₹ 4,739.28 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित ''दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर तथा राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदड़, हिसार की कार्यप्रणाली'' तथा ''कस्टम मिल्ड राईस'' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं और 15 अनुच्छेद शामिल हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधन ने ₹ 24.14 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले एक अनुच्छेद का उत्तर नहीं दिया। इसी प्रकार, हरियाणा सरकार ने ₹ 61.34 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले तीन अनुच्छेदों का उत्तर नहीं दिया।

[16] कृषि, वन, गृह, उद्योग, विद्युत, लो.नि.वि. भ. एवं स., अ.जा. एवं पि.व. कल्याण, परिवहन तथा पर्यटन।